न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :—गितेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 70/2021 (उदयपुर डिक्री)

1. पेमा पिता स्व. धूला डांगी, निवासी ओरवाडिया, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
2. श्रीमती नाथी बेवा स्व. अमरा डांगी, नि.ओरवाडिया, तह.सलुम्बर, जिला उदयपुर
3. लखमा पिता स्व. अमरा जी डांगी,निवासी ओरवाडिया, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. वेला पिता स्व. मेघा डांगी, निवासी ओरवाडिया, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
2. लाला पिता स्व.देवा डांगी,निवासी ओरवाडिया,तहसील सलुम्बर,जिला उदयपुर
3. भेरा पिता दल्ला डांगी, निवासी ओरवाडिया, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
4. काना पिता रोडा डांगी, निवासी ओरवाडिया, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
5. रोडा पिता मेघा डांगी, निवासी ओरवाडिया, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
6. राजस्थान राज्य जरियेतहसीलदार,उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम—1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्रीउपखण्डअधिकारीसलुम्बर दिनांक 31—03—2021 प्रकरणसंख्या85/2001

———::———

उपस्थित :— 1—श्री लोकेश गहलोत अभिभाषक अपीलान्टगण

2— श्री आलोक जैन अभिभाषकरेस्पो.सं.1, 3, 5

3— श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं 6

———::———

निर्णयदिनांक27—06—2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया किमौजा ओरवाडिया में साबिक आराजी नंबर 629/27 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके 1/4 हिस्से के एक मात्र खातेदार काश्तकार वादी के स्वर्गीय पिता मेघा पिता जगा डांगी संवत् 2017 से 2020 में दर्ज थे। उक्त साबिक आराजी नंबर के हाल पैमाईश में हाल आराजी नंबर 507 रकबा 0. 4300 हैक्टर एवं 2915/507 रकबा 0.05[illegible] कुल किता 2 रकबा 0.4800 हैक्टर बने। वादी एवं उसके पिता मेघा ने कभी भी [illegible] भूमि दौला उर्फ दला पिता मेघा को

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:08:56 IST
Reason: SelfAttested

हस्तान्तरित नहीं की है। जमाबन्दी संवत् 2017 से 2020 को देखने से स्पष्ट है कि इंतकाल संख्या 71 दिनांक 19–03–1963 को मेघा को मरना बताकर विरासत से दौला पिता मेघा नाम दर्ज किया गया है, जबकि इंतकाल संख्या 71 में वादग्रस्त भूमि आराजी नंबर 629/27 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा बाबत् कभी पास ही नहीं हुआ एवं किसी मेघा पिता भेरा के मरने का अन्य भूमि बाबत् पास हुआ था। राजस्व रेकार्ड में उक्त गलत इन्द्राज के कारण वादी का 1/4 हिस्सा दला पिता मेघा के नाम दर्ज हो गया, जो जरिये विक्रय पत्र अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज हो गया। दौला उर्फ दला पिता मेघा वादी के पिता का फर्जी वारिस बनकर जमीन अपने नाम करा कर विक्रय कर दी, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था। भूमि पर कब्जा आज भी वादी का ही चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 4 भेरा दला का लड़का है। दौला उर्फ दला ने वादी के पिता मेघा पिता जगा को मरा बताकर फर्जी तरीके से अपने आपको मेघा का बेटा बताकर वादी के पिता मेघा की भूमि अपने नाम दर्ज करा ली एवं बाद में वादी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को विक्रय कर दिया। प्रतिवादी संख्या 5 से 9 अन्य सहखातेदार हैं। प्रतिवादी संख्या 5 से 9 के विरूद्ध वादी को कोई दाद नहीं चाहिए, परन्तु प्रतिवादीगण को पता है कि वादग्रस्त भूमि में मेघा पिता जगा का 1/4 हिस्सा था, जिसका एक मात्र वारिस वादी है। अतः वादग्रस्त साबिक आराजी नंबर 629/27 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा,जिसके हाल आराजी नंबर 507 रकबा 0.4300 हैक्टर एवं 2915/507 रकबा 0.0500 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.4800 हैक्टर बने हैं, के 1/4 हिस्से का एक मात्र खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया एवं वादी का वाद खारिज करने की प्रार्थना की, जिसका जवाबुल जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में कुल 8 तनकियात कायम की गयी एवं एवं तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक31–03–2021 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगणद्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25–08–2021 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 3, 5 की ओर से वकील श्री आलोक जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 औपचारिक पक्षकार [illegible] से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए।रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 क[illegible] बावजूद सूचना अनुपस्थित।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:08:56 IST
Reason: SelfAttested

वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि अपीलान्टगण को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी।जानकारी होते ही नकलें प्राप्त कर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रकरण के गुणावगुण पर बहस करते हुएविद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया किविवादित आराजियात अपीलान्टगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30–06–1979 को खातेदार दला पिता मेघा से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है, तब से अपीलान्टगण निरन्तर काबिज चले आ रहे हैं। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पर वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा गलत आक्षेप किये गये हैं, जबकि उक्त विक्रय पत्र निष्पादन के समय स्वयं वादी वेला मौजूद था, जिसका अंकन विक्रय पत्र में भी है और उसकी साख मौजूद है। ऐसी स्थिति में वादी को उक्त विक्रय पर किसी प्रकार की आपत्ति करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, न ही राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निरस्त करने का अधिकार है। वादी एव उसके गवाहों के जिरह के बयानों में विरोधाभाष है, जिससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर कब्जा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 वेला का नहीं है एवं वक्त विक्रय वेला उपस्थित था। अधिनस्थ न्यायालय ने वादी वेला का आधिपत्य बिना साक्ष्य ही कयासी आधारों पर मानकर निर्णय पारित करने में भूल की है।अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय डिक्री निरस्त की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2021 (1) पेज 81, आर.आर.टी. 2010 (1) पेज 124, आर. आर.टी. 2014 (1) पेज 534,आर.आर.टी. 2010 (2) पेज 1207, डी.एन.जे. 2017 (4) राज. पेज 1518 प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए वाद डिक्री किया है, जो विधि सम्मत है।अतः अपील खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.डी. 1995 पेज 532, डी.एन. जे. 2013 (3) राज. पेज 1212, आर.आर.टी. 2009 (1) पेज 19 प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:08:56 IST
Reason: SelfAttested

हमनेउभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.2021 व वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अ. 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। वाद में मौजा ओडवाडिया, तहसील सलुम्बर में स्थित वादग्रस्त आराजीयात साबित आराजी नंबर 629/27 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से 1/4 हिस्सा वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के स्वर्गीय पिता मेघा पिता जगा डांगी के नाम संवत् 2017 से 2020 की जमाबन्दी में अंकित था, जो अधिनस्थ न्यायालय में संलग्न जमाबन्दी प्रदर्श 8 से यह साबित होता है। वादी का वाद पत्र में कथन है कि सवंत् 2021 से 2024 की जमाबन्दी में वादी के पिता मेघा पिता जगा डांगी का नाम लुप्त हो गया एवं बिना वैद्य आदेश दला पिता मेघा स्वर्गीय मेघा का पिता जगा का बेटा बन वादग्रस्त आराजी में निहित 1/4 हिस्सा अपने नाम करवा लिया तथा उक्त वादग्रस्त 1/4 हिस्सा दला द्वारा अवैध रूप से प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 को विक्रय कर दिया गया। इसलिए उक्त वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्से का अधिकारी वादी है। इन तथ्यों कापरीक्षण करने के लिहाज से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात क्रमांक 1 लगायत 5 कायम की गयी। तनकी नंबर 1 में वादी यह साबित कराने में सफल रहा कि साबिक आराजी नंबर 629/27 जिसके हाल पैमाईशी नंबर 507 व 2915/507 के 1/4 हिस्से का एक मात्र खातेदार काश्तकार मेघा पिता जगा डांगी का वह बेटा है इसलिये वादी/रेस्पोन्डेन्ट नंबर 1 घोषणा कराने का अधिकारी है। अधिनस्थ न्यायालय मेंजमाबन्दी तथा गवाहों के बयानों केविवेचन के आधार पर वादी के पक्ष में यह तनकी साबित हुई है। अपीलान्ट द्वारा अपील में कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा मेघा पिता जगा जी डांगी के नाम दर्ज था और नामान्तरकरण संख्या 71 से इसे दौला पिता मेघा के नाम कर दिया तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा उक्त आराजियात अपीलान्ट संख्या 1, अपीलान्ट संख्या 2 के पति व अपीलान्ट संख्या 3 के पिता व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के नाम अवैध ढंग से हस्तान्तरित करने के तथ्य वाद में गलत दर्ज हैं। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा ऐसे कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये हैं जिससे यह साबित हो कि संवत् 2017 से 2020 में राजस्व रेकार्ड में अंकित 1/4 हिस्सा मेघा पिता जगा डांगी से कालान्तर में दौला पिता मेघा के नाम किस आधार पर स्थानान्तरित हुआ। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 1 सही ढंग से वादी के पक्ष में साबित होना पाया गया एवं अपीलान्ट अपील के कथन को साबित करने मे असफल रहे हैं। इसी प्रकार तनकी नंबर 2 में भी यह साबित हुआ है कि वादी के पिता मेघा पिता जगा डांगी ने वादग्रस्त भूमि दला पिता मेघा को किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:08:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रकार से हस्तान्तरित नहीं की, भूलवश रेकार्ड में दला पिता मेघा दर्ज हो गया। इस संबंध में भी अपीलान्टगण द्वारा कोई ठोस सबूत पेशकर यह साबित नहीं कर पाये कि दला पिता मेघा को भूमि वैद्य रूप से हस्तान्तरित हुई थी। राजस्व रेकार्ड प्रदर्श 6 व प्रदर्श 7 से स्पष्ट है कि राजस्व रेकार्ड में मेघा पिता जगा डांगी की जगह दला पिता मेघा के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया गया। इससे यह साबित हो जाता है कि दला पिता मेघा ने वादी का 1/4 हिस्सा अवैध रूप से प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 को विक्रय कर दिया। अपीलान्टगण का यह कथन कि पेमा, अमरा व लाला (प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3) द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि दला पिता मेघा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है जो वैध है स्वयं वेला रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 वक्त रजिस्ट्री मौजूद था एवं विक्रय पत्र में साख भी दी है। यह प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 उसके वैध खातेदार हैं। पूर्वोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया है कि जब दला पिता मेघा डांगी वादग्रस्त आराजी के 1/4 हिस्से का वैध खातेदार ही नहीं था। उसके हिस्से में यह भूमि सहवन से अंकित हुई है तो उन्हें उक्त भूमि विक्रय करने का अधिकार ही नहीं रहा जाता है।

अतः सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से विधि सम्मत सुनवाई कर सम्पूर्ण विश्लेषण व निष्कर्ष के आधार पर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मेमों में किये गये कथनों को साबित करने हेतु ऐसे कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे अपील मेमों के कथन साबित हो पायें। फलस्वरूप अपील सारहीन होने से खारिज योग्य पायी गयी।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2021यथावत रखा जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।निर्णय आज दिनांक 27–06–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी

उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:08:56 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**गितेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.** .....

पेमा पिता स्वर्गीय धूला डांगी, निवासी निवासी ओरवाडिया, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर व अन्य

बनाम

वेला पिता स्वर्गीय मेघा डांगी, निवासी निवासी ओरवाडिया, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.....**70 / 2021**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**सलुम्बर**.....मुकाम.....मुवर्खे.....**31**.....माह.....**03**.....**2021**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**27**.....माह.....**06**.....सन् **2023** रूबरू.....
व हाजरी.....**श्री लोकेश गहलोत**.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री आलोक जैन**.....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.....**अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2021 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .....**X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.....**X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**27**.....माह.....**06**.....**2023** को जारी किया गया।

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:08:56 IST
Reason: SelfAttested